न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 500/2019/223 (2019/00500)

1. नाथू पुत्र स्व0 काना, जाति चमार, निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद।
अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
रेस्पोडेंट

2. मादू पुत्र स्व0 धन्ना,
3. मु0 दाखू बेवा नौरत,
4. राम कुमार पुत्र स्व0 नौरत, समस्त जाति चमार, निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 01.10.2012 अंतर्गत वाद संख्या 195/2011.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.
3. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 25.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0काश्त0अधि0 1956 के तहत रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद की आधार जमाबंदी में वर्णित आराजियात जिसका वर्णन वादपत्र की चरण संख्या 1 में किया गया है जिसके खाता संख्या 737/766 है, उपरोक्त आराजियात आपसी सहमति से बंटवारा नामा अनुसार नामांतकरण संख्या 557 दिनांक 31.12.2010 के अनुसार अपीलांट/वादी एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज हुई जिसमें वादी के पिता का नाम नाथू पुत्र काना का अंकन होना चाहिये था जो नहीं कर नाथू पुत्र धन्ना का अंकन कर दिया । अत. वाद स्वीकार वाद में वर्णितानुसार डिक्री पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.10.2012 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के वाद का खण्डन नहीं किया एवं उनकी सहमति थी । अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजियात से संबंधित राजस्व दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये एवं अपीलांटस द्वारा उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र पत्रावली पर पेश किया गया जिसमें अपीलांट के पिता का नाम नाथू पुत्र काना का सुस्पष्ट अंकन हो रखा है केवल मात्र सहमति के बंटवारा नामें में अपीलांट का नाम नाथू पुत्र धन्ना अंकित कर दिया एवं उपरोक्त अंकन को दुरूस्त करने में रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं थी इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अपील में केवल मात्र 10 दिन का विलंब हुआ है जो फीस की व्यवस्था करने के कारण हुआ है । विलंब का कारण सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विभाजन पत्र एवं राजस्व अभिलेख में वादी के पिता का नाम धन्ना ही अंकित है । अधी0न्याया0 ने वाद सही रूप से खारिज किया है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 737/766 आपसी सहमति से बटवारानामा अनुसार नामांतकरण संख्या 557 दिनांक 31.12.2010 के अनुसार अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज की गई जिसमें वादी/अपीलांट के पिता का नाम नाथू पुत्र काना का अंकन नहीं कर नाथू पुत्र धन्ना अंकित कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाथू पुत्र धन्ना के स्थान पर नाथू पुत्र काना अंकित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि विभाजन व राजस्व अभिलेख में वादी के पिता का नाम धन्ना ही अंकित है । यदि वादी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण है तो वादी को बरवक्त विभाजन आपत्ति पेश करनी चाहिये थी । वादी ने आराजी मुतनाजा का पूर्व राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है जिससे वर्तमान इंद्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष विक्रय पत्र दिनांक 10.7.1972 की फोटो प्रति पेश की है जिसमें वादी/अपीलांट नाथू पुत्र काना अंकित है । इसी प्रकार राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की है जिसमें भी नाथू पु काना बैरवा अंकित है । अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के साथ ग्राम देरांठू की जमाबंदी संवत् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का बिल, बिजली का बिल,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान का जॉब कार्ड, मतदाता

पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक की फोटो प्रतियां पेश की है जिनमें अपीलांट नाथू की वल्दियत नाथू पुत्र काना अंकित है । हम उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अधी0न्याया0 से पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.10.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के संदर्भ में अपीलांट की वल्दियत की जांच कर स्वतंत्र गवाहों के बयान करवाकर वाद में विधिसम्मत् निर्णित पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर, नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर